संशोधित दिशा-निर्देश

फा.सं. 11026/14/2015-एमएण्डई
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 10.10.2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: उर्वरक विभाग (डीओएफ) की शहरी कम्पोस्ट संवर्द्धन नीति के अंतर्गत शहरी कम्पोस्ट की बिक्री के संबंध में भुगतान/वसूली हेतु बिल प्रस्तुत करने की संशोधित प्रक्रिया।

शहरी कम्पोस्ट संवर्धन नीति के कार्यान्वयन के मामले में शहरी कम्पोस्ट की बिक्री पर 1500/- रु./मी.टन की बाजार विकास सहायता (एमडीए) के भुगतान हेतु दावों की प्रस्तुति और कार्रवाई संबंधी प्रक्रिया के लिए इसके साथ निर्धारित दिशा-निर्देश इस का.ज्ञा. के जारी होने की तारीख से की गई बिक्री पर लागू होंगे।

क. बाजार विकास सहायता के लिए पात्रता

I. उर्वरक नियंत्रण आदेश में विहित मानकों के अनुसार राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर शहरी कम्पोस्ट की बिक्री के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) का भुगतान केवल विपणन कंपनियों के जरिए ही किया जाएगा। एनबीएस योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी यूरिया विनिर्माता और सभी पीएण्डके उर्वरक (एसएसपी सहित) विनिर्माता और आयातक शहरी कम्पोस्ट विपणन के लिए पात्र हैं। यदि कोई यूरिया विनिर्माता अथवा पीएण्डके उर्वरक (एसएसपी सहित) विनिर्माता भी शहरी कम्पोस्ट का उत्पादन कर रहा है तो वह भी अपनी स्वयं की शहरी कम्पोस्ट का विपणन करने और एमडीए दावा करने का पात्र होगा।

II. शहरी कम्पोस्ट का विपणन करने की इच्छुक कंपनियों द्वारा शहरी कम्पोस्ट का विपणन करने की अपनी इच्छा और पंजीकृत विनिर्माताओं का ब्यौरा, जिसके साथ शहरी कम्पोस्ट की आपूर्ति के लिए खरीद करार किया गया है तथा **अनुलग्नक-I** के अनुसार अन्य सूचना का ब्यौरा उर्वरक विभाग को एक पत्र में प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। उर्वरक विभाग कंपनी को एक एफएमएस आईडी आवंटित करेगा ताकि वह उत्पादकों से खरीदी गई और विभिन्न डीलरों को बेची गई शहरी कम्पोस्ट की मात्रा, एमआरपी आदि का ब्यौरा अपलोड कर सके। खरीद, बिक्री, एमआरपी आदि से संबंधित आंकड़े अपलोड करना अनिवार्य है और कंपनियों से ऑनलाइन मासिक एमडीए दावे सृजित करने अपेक्षित हैं, जैसाकि पीएण्डके उर्वरकों के लिए किया जा रहा है, और प्रक्रिया एवं एमडीए भुगतान व्यवस्था के लिए दावे निदेशक (एफए), उर्वरक विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत करने होंगे।

III. शहरी कम्पोस्ट के प्रत्येक बैग पर एफसीओ में दिए गए अनुसार इसके घटक, विपणन कंपनियों के ब्रांड नाम, इसके बाद ''स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत संवर्धित शहरी कम्पोस्ट'', विनिर्माता का नाम और संगत नियमों के अनुसार अन्य तथ्य अंकित होने चाहिए। बैग पर स्वच्छ भारत मिशन का लोगो भी होगा।

ख. एमआरपी की तर्कसंगतता और बैगों पर एमआरपी का मुद्रण

I. यद्यपि शहरी कम्पोस्ट का बाजार मूल्य मांग-आपूर्ति संतुलन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, उर्वरक कंपनियों को उर्वरक बैगों पर लागू एमडीए सहित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) स्पष्ट रूप से मुद्रित करना अपेक्षित होगा। मुद्रित निवल एमआरपी से ऊपर की गई कोई बिक्री ईसी अधिनियम के तहत दण्डनीय होगी।

II. उर्वरक विभाग द्वारा दी गई बाजार विकास सहायता के अलावा यदि कोई राज्य शहरी कम्पोस्ट पर राजसहायता उपलब्ध कराता है तो कंपनी द्वारा इसके अनुसार एमआरपी कम की जाएगी तथा इस प्रकार देय राजसहायता का लाभ भी कम एमआरपी के रूप में किसानों को दिया जाएगा।

III. बिक्री किए गए शहरी कम्पोस्ट के प्रत्येक बैग विपणनकर्ता कंपनियों को एमआरपी तथा लागू एमडीए व साथ ही राज्य सरकार (सरकारों) द्वारा प्रदत्त राजसहायता यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से मुद्रित करना अपेक्षित होता है। विपणन कंपनियों को प्रत्येक महीने राजसहायता दावों के साथ एमआरपी का ब्यौरा देने के अतिरिक्त एफएमएस/एमएफएमएस में वही एमआरपी अपलोड करना भी अपेक्षित होता है।

IV. उर्वरक विभाग एमआरपी की तर्कसंगतता की जांच करने हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्या बाजार विकास सहायता अथवा राज्य की राजसहायता के रूप में दी जा रही सहायता का लाभ उपभोक्ताओं की मिल पा रहा है। यदि जांच के बाद यह साबित हो जाता है कि ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार सहायता का लाभ नहीं मिल पाया तो इसकी वसूली कर ली जाएगी।

ग. शहरी कम्पोस्ट संवर्द्धन नीति के अंतर्गत बाजार विकास सहायता (एमडीए) का दावा करने के लिए सामान्य भुगतान प्रक्रिया।

2. 'लेखागत' भुगतान जारी करने की प्रक्रिया

I. शहरी कम्पोस्ट की विपणनकर्ता कंपनियों को विहित **प्रपत्र 'क' और 'ग'** में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा भलीभांति प्रमाणित किए जाने पर उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई अपेक्षित सूचना के आधार पर जिला स्तर पर प्रथम बिन्दु बिक्री (डीलर/खुदरा विक्रेता को) पर माह-वार बेची गई शहरी कम्पोस्ट की मात्रा के लिए उर्वरक विभाग से 50% 'लेखागत' राजसहायता भुगतान का दावा करने की अनुमति है।

II. विपणनकर्ता कंपनियों द्वारा संगत दस्तावेजों सहित प्रपत्र 'क' और 'ग' की एक प्रति भी संबंधित राज्य सरकार (कृषि निदेशालय) को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है जिसमें एक माह विशेष के दौरान शहरी कम्पोस्ट की बिक्री की गई है ताकि उस माह विशेष के दौरान विपणनकर्ता कंपनी द्वारा की गई शहरी कम्पोस्ट की बिक्री का सत्यापन और प्रमाणन हो सके। प्रपत्र 'क' और 'ग' के साथ लगाए जाने वाले बिक्री बिलों का ब्यौरा एवं अन्य संगत दस्तावेज बिक्री के कैलेंडर माह के 30 दिन के अंदर केवल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेजा जाना है।

III. प्रपत्र 'क' और 'ग' के साथ अनुलग्नक के रूप में एफएमएस में बिक्री का ब्यौरा दर्ज किया जाना अपेक्षित है।

IV. शहरी कम्पोस्ट विपणन कंपनियों को अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता व सांविधिक लेखा परीक्षक के साथ ही विनिर्माताओं के भी नमूना हस्ताक्षर, उनके नाम और मुहर के साथ प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिनके साथ उनका विपणन अनुबंध है।

V. राज्य सरकार जिसमें शहरी कम्पोस्ट संयंत्र स्थित हैं, द्वारा निरीक्षण करना एवं यह प्रमाणित करना अपेक्षित है कि किसी माह विशेष के दौरान उत्पादित शहरी कम्पोस्ट की गुणता एफसीओ में विहित मानकों के अनुसार थी।

VI. राज्य सरकार निहित प्रपत्र के अनुसार अपनी सरकारी लेखन-सामग्री में ये प्रमाण-पत्र जारी करेगी।

VII. निर्माता/विपणनकर्ता कंपनी को उस माह विशेष के लिए लेखागत भुगतान के दावे के साथ राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ऐसे प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

VIII. राज्य सरकार द्वारा उनके द्वारा जारी किए गए गुणता प्रमाण-पत्र (प्रपत्र-बी2-सीसी) में नमूनों की संख्या और नमूना संख्या विवरण सहित राजसहायता के लिए अपात्र शहरी कम्पोस्ट की अवमानक मात्रा का स्पष्ट ब्यौरा देना अपेक्षित होता है।

IX. उर्वरक लेखा शाखा द्वारा प्रक्रिया दावे प्रशासनिक अनुमोदन हेतु उस विषय को देख रहे संयुक्त सचिव, उर्वरक विभाग को प्रस्तुत किए जाएंगे।

X. तत्पश्चात दावों को आंतरिक वित्त प्रभाग (आईएफडी) की सहमति के लिए भेजा जाएगा।

XI. आईएफडी की सहमति के बाद उर्वरक लेखा शाखा द्वारा 'लेखागत' राजसहायता राशि हेतु स्वीकृति जारी की जाएगी।

XII. तत्पश्चातृ वेतन एवं लेखा अधिकारी पीएफएमएस के जरिए विहित प्रक्रिया के अनुसार राजसहायता का भुगतान जारी करेगा।

XIII. विपणनकर्ता कंपनियों को शहरी कम्पोस्ट की बिक्री के माह से दो महीने के अंदर 'लेखागत' एमडीए का दावा करना अपेक्षित है।

3. राजसहायता का शेष भुगतान जारी करना:

(I) विपणन कंपनी द्वारा विहित प्रपत्र 'क' और 'ग' में किसी माह विशेष में राज्यों को की गई शहरी कम्पोस्ट की बिक्री के संबंध में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर राज्य सरकारों को राज्य में विपणनकर्ता कंपनी द्वारा की गई शहरी कम्पोस्ट की बिक्री का सत्यापन करना अपेक्षित है और विपणनकर्ता कंपनी द्वारा प्रस्तुति की तारीख से 180 दिन के अंदर उर्वरक विभाग और शहरी कम्पोस्ट विपणनकर्ता कंपनी को विहित प्रपत्र-बी1-सीसी में मात्रा सत्यापन प्रमाण-पत्र भेजना अपेक्षित है।

(II) यदि विपणनकर्ता कंपनियां अपने दावे दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करती हैं तो शहरी कम्पोस्ट की बिक्री पर उर्वरक विभाग द्वारा शेष एमडीए का भुगतान किसी माह विशेष के दौरान बेची गई शहरी कम्पोस्ट की मात्रा और गुणता का प्रमाणन करते हुए राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रपत्र-बी1-सीसी और प्रपत्र-बी2-सीसी के आधार पर और एमएफएमएस में खुदरा विक्रेता की पावती मिलने पर विपणनकर्ता की कंपनियों को जारी किया जाएगा।

(III) राज्य सरकारों को विपणनकर्ता कंपनी द्वारा किसी माह विशेष में इस प्रकार बेची गई शहरी कम्पोस्ट की मात्रा और गुणता का प्रमाणन करना अपेक्षित है।

(IV) आंशिक प्रमाणन की अनुमति नहीं है।

(V) अवमानक पाई गई किसी मात्रा का उल्लेख प्रपत्र 'ख' में भी किया जाएगा जिसके आधार पर कोई भी बाजार विकास सहायता पात्र नहीं होगी।

(VI) राज्य सरकार द्वारा प्रपत्र-बी1-सीसी और प्रपत्र-बी2-सीसी' की प्रस्तुति के आधार पर विपणनकर्ता कंपनी किसी माह/राज्य विशेष में शहरी कम्पोस्ट की बिक्री पर एमडीए के शेष 50% भुगतान का दावा करने के लिए पात्र होगी।

(VII) विपणनकर्ता कंपनी विहित प्रपत्र 'घ' में बाजार विकास सहायता के शेष भुगतान का दावा करेगी।

(VII) प्रपत्र 'घ' पर कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा भी हस्ताक्षर करने अपेक्षित हैं।

(IX) राज्य सरकार द्वारा प्रपत्र-'बी1-सीसी और-बी2-सीसी' में किए गए प्रमाणन के अनुसार उर्वरक लेखा शाखा द्वारा दावों की प्रक्रिया की जाएगी।

(X) उर्वरक विभाग के पास शहरी कंपोस्ट की उस मात्रा पर ब्याज और दंड ब्याज वसूलने का अधिकर है जिस पर एमडीए का भुगतान कर दिया गया है और बाद में राज्य सरकार प्रपत्र-'बी1सीसी' में यह प्रमाणित कर दे कि उक्त मात्रा अथवा उसका कोई भाग अवमानक है अथवा बेचा नहीं गया/कम बेचा गया, यह दावा प्रक्रिया के समय प्रचलित दर पर होगा।

(XI) एमडीए के शेष भुगतान के दावों के लिए संयुक्त सचिव, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक अनुमोदन हेतु उर्वरक लेखा शाखा द्वारा प्रक्रिया चलाई जाएगी।

(XII) तत्पश्चात दावों को आंतरिक वित्त प्रभाग (आईएफडी) की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

(XIII) आईएफडी द्वारा स्वीकृति के बाद, शेष बाजार विकास सहायता राशि के लिए उर्वरक लेखा शाखा द्वारा मंजूरी जारी की जाएगी।

(XIV) तत्पश्चात पीएण्डएओ विहित प्रक्रिया के अनुसार पीएफएमएस के जरिए राजसहायता का भुगतान जारी करेगा।

4. प्रपत्र-बी1-सीसी प्रमाण पत्र में देरी अथवा अप्राप्ति के संबंध में उर्वरक लेखा शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:

(I) उर्वरक लेखा शाखा प्रपत्र 'बी1-गग और बी2-सीसी' की राज्य–वार प्राप्ति की निगरानी करेगी और राज्य सरकारों द्वारा प्रपत्र-'बी1-सीसी और बी2-सीसी की प्रस्तुति में देरी की स्थिति में उर्वरक विभाग/उर्वरक लेखा शाखा राज्य सरकार के साथ मामले को उठाएगी कि वह प्रपत्र-'बी1-सीसी और-बी2-सीसी' शीघ्र प्रस्तुत करे ताकि विपणनकर्ता कंपनी को जारी किए जाने वाले 'लेखागत' एमडीए भुगतान का निपटान किया जा सके और एमडीए का शेष भुगतान भी जारी किया जा सके। शहरी कंपोस्ट विपणनकर्ता कंपनी को भी राज्य सरकारों के साथ मामले को उठाना चाहिए कि वे प्रपत्र-'बी1-सीसी और बी2-सीसी' शीघ्र प्रस्तुत करें।

(II) यदि राज्य सरकार से 'प्रपत्र-बी2-सीसी' की प्राप्ति में 180 दिन से अधिक की देरी होती है तो प्रपत्र-बी2-सीसी को प्राप्त हुआ माना जाएगा और एमडीए भुगतान के लिए लेखागत दावों की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

(III) राज्य सरकारों से प्रपत्र-'बी1-सीसी' में शहरी कम्पोस्ट की बिक्री की मात्रा के सत्यापन के लिए एक सुविचारित पद्धति अपनाए जाने की अपेक्षा है जो या तो यादृच्छिक आधार पर हो अथवा किसी अन्य मानदण्ड पर आधारित हो और इसकी सीमा का निर्धारण उनके द्वारा इस उद्देश्य हेतु उनकी जनशक्ति और अवसंरचना तथा भौगोलिक स्थिति को भी देखते हुए किया जा सकता है।

(IV) देश के विभिन्न कानूनों यथा एफसीओ के तहत नियत प्रावधानों/दशाओं/नियमों और विनियमों के किसी अन्य उल्लंघन का पता चलने पर इनकी रिपोर्ट प्रपत्र-बी1-सीसी और प्रपत्र-बी2-सीसी की प्रस्तुति के साथ ही अलग से दी जाए।

(V) राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे 'प्रपत्र-बी1-सीसी और बी2-सीसी' पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित हस्ताक्षर उर्वरक लेखा शाखा को भेजें। यदि किसी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित हस्ताक्षर उर्वरक विभाग को भेजे जाने चाहिए।

(VI) प्रपत्र-'बी1-सीसी और बी2-सीसी' प्रमाण-पत्र जारी करते समय राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि:

(क) बिक्रियों को प्रमाणित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम दर्शाने वाली रबड़ मोहर और कार्यालय मोहर लगाना;

(ख) प्रपत्र-'बी1-सीसी और बी2-सीसी पर हस्ताक्षर करने के स्थान और तारीख की सूचना;

(ग) यह कि प्रपत्र-'बी1-सीसी' में प्रमाणित मात्रा अंतिम मात्रा है क्योंकि उक्त माह में आंशिक प्रमाणन को स्वीकार नहीं किया जाएगा;

(घ) यह कि संलग्न प्रपत्र-'बी1-सीसी और बी2-सीसी' प्रपत्र में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया जाए; और

(ड.) यह कि प्रपत्र-'बी1-सीसी और बी2-सीसी' को बिना किसी कांट-छांट अथवा सुधार के जारी किया गया है।

5. कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं/सांविधिक लेखा परीक्षक के नमूना हस्ताक्षर:

(I) विहित प्रपत्र में बाजार विकास सहायता के सभी दावों ('लेखागत' अथवा शेष भुगतान) पर कंपनी के मुख्य कार्यपालक अथवा उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(II) दावों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को न्यूनतम महा प्रबंधक के रैंक अथवा वित्त विभाग का प्रधान अथवा कंपनी में समकक्ष का पद धारक होना चाहिए।

(III) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित हस्ताक्षर उर्वरक लेखा शाखा, उर्वरक विभाग को प्रारम्भ में कोई भुगतान जारी होने के तुरंत पहले और प्रत्येक वित्त वर्ष के आरम्भ में भी भेजे जाने चाहिए।

(IV) प्रत्येक कंपनी के लिए अधिकतम दो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होने चाहिए।

(V) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के तीन नमूना हस्ताक्षरों की दो प्रति कंपनी के मुख्य कार्यपालक द्वारा भली-भांति हस्ताक्षर करके कार्यालय की मोहर लगाकर उर्वरक लेखा शाखा, उर्वरक विभाग को भेजी जानी चाहिए।

(VI) इसी प्रकार विपणनकर्ता कंपनी द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के नाम और मोहर के साथ नमूना हस्ताक्षर भी उर्वरक विभाग को प्रस्तुत करने चाहिए।

6. सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों के जरिए भुगतान

उर्वरक विभाग द्वारा शहरी कंपोस्ट की विपणनकर्ता कंपनी को भुगतान किसी सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंक के जरिए क्रेडिट से किया जाएगा जिसके लिए सभी विपणनकर्ता कंपनियों को उस बैंक में खाता खुलवाना अपेक्षित है।

(I) बाजार विकास सहायता के दावे के उद्देश्य से उर्वरक विपणनकर्ता कंपनियों को पीएफएमएस प्रणाली में पंजीकरण कराना अपेक्षित है।

7. आलेखों का प्रलेखन/प्रस्तुतीकरण

(क) शहरी कंपोस्ट विनिर्माता कंपनी से अपेक्षित है कि वे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमिक रूप से स्थायी प्रकृति के निम्नलिखित रिकार्ड का अनुरक्षण करें और उसे डीओएफ या डीओएफ द्वारा प्राधिकृत किसी संगठन को निरीक्षण के दौरान लेखा परीक्षा/सत्यापन के लिए या जब भी अन्यथा उसकी आवश्यकता हो उपलब्ध करायें:-

(i) प्रत्येक दिन के आदिशेष, उत्पादन, प्रेषित प्रमात्रा और अंत: शेष को दर्शाने वाले आरजी-1 प्रारूप में दैनिक भंडार रजिस्टर।
(ii) प्रबंधक (उत्पादन) द्वारा सम्यक तौर पर प्राधिकृत प्रत्येक उत्पाद के उत्पादन और भंडार की दैनिक रिपोर्ट।
(iii) प्रेषण/भंडार अंतरण सूचना जिनपर क्रम संख्या-वार नम्बर डाले गए हों और प्रबंधन (बिक्री) द्वारा हस्ताक्षरित हो।
(iv) मुख्यालय या अन्य नियंत्रक कंपनियों द्वारा जारी प्रेषण अनुदेश।
(v) जारी गेट पासों के रजिस्टर के साथ गेट पास जिनपर क्रम संख्या मुद्रित की गई हो और प्रत्येक दिन जारी किए गेट पासों की संख्या और तारीख दर्शाई गई हो और गेट पासों के आधार पर कारखाने से बाहर निकाली गई मात्राओं का विवरण (अर्थात दैनिक सारांश विवरणी) हो।
(vi) प्रेषण संबंधी रजिस्टर जिसमें गेट पासों की संख्या, तारीख, प्रेषण/भंडार अंतरण सूचना और रजिस्टर में प्रत्येक प्रविष्टि से संबंधित प्रेषण अनुदेशों को दर्शाने वाले पत्र की संख्या और तारीख को दर्शाया गया हो।
(vii) बिक्री बीजकों पर क्रम संख्या डाली गई हो और उनके साथ वेयर हाउस डिलीवरी नोट/आदेश संलग्न हो।
(viii) बिक्री दैनिक बही।
(ix) मुख्यालय/कंपनी के गोदाम या भंडार पर नियंत्रण रखने वाली किन्हीं भी कंपनियों द्वारा जारी डिलीवरी चालान के साथ-साथ प्रेषण की प्राप्ति की पुष्टि स्वरूप प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित डिलीवरी चालान की प्रतियां भी उपलब्ध हों।
(x) प्राधिकृत डीलरों को दर्शाने वाला रजिस्टर।
(xi) खरीदी गई कच्ची सामग्री और उसके खपत संबंधी भंडार रजिस्टर-स्वदेशी तथा आयातित कच्ची सामग्री के लिए अलग-अलग।
(xii) संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त किए गए पंजीकरण/लाइसेंस का विवरण।

(ख) विनिर्माता कंपनियां, यदि वह विपणनकर्ता भी हैं, यह सुनिश्चित करें कि आरजी-1 रजिस्टर, भंडार रजिस्टर, गेट पास रजिस्टर, कच्ची सामग्री रजिस्टर और अन्य सभी संबंधित रिकार्डों को सांविधिक लेखा परीक्षकों/चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा उनके नाम, तारीख, पदनाम और मुहर के साथ सम्यक रूप से प्रमाणित किया गया हो। इन रिकार्ड को कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा। उपर्युक्त रिकार्ड में की गई कांट-छांट, उपरिलेखन और आंकड़ों के समावेशन को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा।

8. अन्य

(i) शहरी कम्पोस्ट योजना के संबंध में दावों के अलावा अन्य सभी संदर्भों को मुहरबंद लिफाफों में संयुक्त सचिव, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए।
(ii) शहरी विकास मंत्रालय से अपेक्षित है कि वे मासिक उत्पादन ब्यौरे/विवरणियों को उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत करें।
(III) उर्वरक विभाग, योजना के निर्बाध और कुशल कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर विपणन कंपनियों से कोई भी अतिरिक्त सूचना जिसे वह आवश्यक समझे मांग सकता है।
(iv) उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।
(v) इन दिशा-निर्देशों को उर्वरक विभाग की वेबसाइट http://fert.nic.in पर उपलब्ध कराया गया है।

हस्ता/-

(डी.पी. श्रीवास्तव)
निदेशक
दूरभाष: 011-23389839

सेवा में,

i. सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
ii. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
iii. संयुक्त सचिव (पीएचई), संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
iv. निदेशक (एफए), उर्वरक विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
v. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के निदेशक (कृषि)।
vi. सभी उर्वरक कंपनियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक।
vii. महानिदेशक, एफएआई, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली।
viii. अध्यक्ष, वेस्ट मेनेजमेंट एसोसिएशन, चतुर्थ तल, गोपाल दास भवन, 28, बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली।
ix. उर्वरक विभाग के सभी अधिकारी।
x. निदेशक (एनआईसी) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अनुलग्नक-I

शहरी कंपोस्ट विनिर्माता का विवरण

i. शहरी कंपोस्ट विनिर्माता कंपनी का नाम

ii. शहरी कंपोस्ट संयंत्र का पता

iii. विनिर्माता के पंजीकृत कार्यालय का पता

iv. विनिर्माता का टिन संख्या

v. विनिर्माता का पैन संख्या

vi. उस नगर निकाय का नाम और पता जिसके साथ विनिर्माता को अनुबंध करना है

vii. नगर निकाय और विनिर्माता के बीच संविदा की अवधि

viii. एमएसडब्ल्यू का प्रति दिन आदान

ix. संस्थापित क्षमता (वार्षिक मी. टन में)

दिनांक:
स्थान:

कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम, पदनाम मुहर सहित)

प्रपत्र 'क' और 'ग'

शहरी कम्पोस्ट के संवर्धन नीति के अंतर्गत विपणन कंपनियों द्वारा बाजार विकास सहायता के 'लेखागत' भुगतान का दावा करने के लिए।

अधिसूचना सं.....दिनांक..... के अंतर्गत दावा

सेवा में,

निदेशक (एफए), उर्वरक विभाग कमरा सं.473, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

महोदय/महोदया,

हम बाजार विकास सहायता के ''लेखागत'' भुगतान का दावा एतद द्वारा निम्नलिखित विवरणों के अनुसार प्रस्तुत करते हैं:-

1. विनिर्माता का नाम और पता:
2. विपणन कंपनियों का नाम और पता, यदि कोई हो
3. किस महीने का दावा है सं.....दिनांक.....
4. दावे का विवरण

दावा सं.	प्रति मी.टन एमआरपी (स्थानीय करों को छोड़कर) (रुपये में)	उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसमें शहरी कम्पोस्ट की बिक्री की गई है	अनुलग्नक के अनुसार भुगतान के लिए पात्र निवल मात्रा (मी.टन में)	प्रति मी.टन दर	भुगतान योग्य बाजार विकास सहायता (रुपये में)	भुगतान योग्य लेखागत राशि के अनुसार कुल बाजार विकास सहायता का .....%

5. दावा की जा रही बाजार विकास सहायता के ''लेखागत भुगतान'' की कुल रकम को निकटतम रुपये.....(राशि शब्दों में) में पूर्ण कर दिया गया है।

6. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सारणी के कॉलम सं.4 में दर्शायी गई निवल मात्रा जिस पर बाजार विकास सहायता का दावा निवल भार के आधार पर किया जा रहा है और जिसमें खाली बोरों का वजन शामिल नहीं है और उसकी बिक्री संलग्न अनुलग्नक-I के अनुसार उन जिलों में अनुमोदित डीलरों/राज्य अभिकरणों के माध्यम से कृषि प्रयोग के लिए किसानों को पूरी तरह से आपूर्ति की गई है या उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (एफसीओ) के अंतर्गत पंजीकृत एनपीके मिश्रित/विशेष रूप से निर्मित उर्वरक विनिर्माताओं को आपूर्ति की गई है जो औद्योगिक या अन्य किसी प्रयोग के लिए नहीं है। प्रमाणित किया जाता है कि एमआरपी और बाजार विकास सहायता की राशि प्रत्येक बोरे पर प्रति बोरे के लिए रुपये में मुद्रित की गई है और बेचे गए उर्वरक की गुणता एफसीओ विनिर्देशों के अनुरूप है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी के पास उपर्युक्त बिक्री के संबंध में वैध उर्वरक पंजीकरण प्रमाण-पत्र/सूचना का ज्ञापन उपलब्ध है।

7. यह प्रमाणित किया जाता है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के दिनांक.....के पत्र सं.....में वर्णित सभी शर्तों और शहरी कम्पोस्ट संबंधी मार्गदर्शिकाओं का समुचित पालन किया गया है।

8. यह प्रमाणित किया जाता है कि शहरी कम्पोस्ट के ऊपर लिखित मात्रा को उन **डीलरों/राज्य अभिकरणों** आदि को बेचा गया है जो संबंधित राज्य प्राधिकरणों के पास सम्यक रूप से पंजीकृत हैं।

9. शहरी कम्पोस्ट की ऊपर लिखित मात्रा को उर्वरक विभाग के दिनांक.....के पत्र सं.....द्वारा जारी विपणन व्यवस्था के अनुसार बेचा गया है।

10. प्रमाणित किया जाता है कि **अनुलग्नक** के अनुसार बेची गई मात्रा और उपर्युक्त सारणी के कॉलम (5) के अनुसार दावा की गई बाजार विकास सहायता स्वयं कंपनी ही में केवल स्टॉक अंतरण नहीं है।

11. प्रमाणित किया जाता है कि शहरी कम्पोस्ट वाले प्रत्येक बोरे जिसका विनिर्माण इकाई द्वारा किया गया है उस पर 'गुणता प्रमाणित' भारत सरकार द्वारा बाजार विकास सहायता की दर और एमआरपी (करों सहित) की मोहर लगाने के पश्चात् ही उसे बाजार में बेचा गया है।

12. यह प्रमाणित किया जाता है कि शहरी कम्पोस्ट की निम्नलिखित मात्रा की बिक्री विभिन्न जिलों में की गई है:-

क्र.सं.	उत्पाद	राज्य	प्राप्त मात्रा	सामान्य मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

रुपये.....की राशि प्राप्त की

दिनांक:
स्थान:

कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम, पदनाम मुहर सहित)

कृपया बाजार विकास सहायता की राशि का भुगतान.....(बैंक का नाम और पता).....के खाता सं. में क्रेडिट करते हुए करें।

<विनिर्माता/विपणन कंपनियों का नाम> के लिए
दिनांक:
स्थान:

कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम, पदनाम मुहर सहित)

प्रतिलिपि: राज्य सरकारों के आयुक्त/निदेशक (कृषि), को बेची गई मात्रा का सत्यापन करने और एक महीने के भीतर प्रपत्र 'ख' को जारी करने तथा उसे उर्वरक विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजने के लिए।

(लेखा परीक्षक के पत्र शीर्ष पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट)

प्रमाणित किया जाता है कि (विनिर्माता का नाम) द्वारा आपूर्ति की गई शहरी कम्पोस्ट की मात्रा की बिक्री.....माह के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिलों में इसके द्वारा संलग्न अनुलग्नक-। के अनुसार की गई है।

2. (विपणन कंपनियों का नाम) द्वारा बेची गई शहरी कम्पोस्ट जिसे नीचे दर्शाया गया है को बिक्री बीजकों, बिक्री रजिस्टर, डिलिवरी चालान, रेल प्रेषण के लिए रेलवे रसीद (आरआर)/सड़क प्रेषण के लिए लारी रसीदों, भण्डार अंतरण नहीं (एसटीएन) और (अन्य कोई रिकार्ड जिसे कंपनी द्वारा रखा जा रहा है का उल्लेख करें) की सम्यक जांच के पश्चात् एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

क्र.सं.	बाजार विकास सहायता दावा सं. और तारीख	राज्य	मात्रा मी.टन में	अभ्युक्ति, यदि कोई हो।

3. रेल शीर्ष से पंजीकृत वेयर हाउस/बफर गोदाम/डीलर के भण्डार स्थल पर भेजी गई मात्रा को एसटीएन/वेयर हाउस स्टॉक रिपोर्ट से सत्यापित किया जाता है। डीलरों को सीधे ही प्रेषित की गई मात्रा चाहे वह बिक्री के रूप में हो अथवा संयंत्र से प्रेषित हो या रेक बिंदु स्थल से प्रेषित की गई को डिलिवरी आदेशों/बीजकों/एसटीएन से सत्यापित किया जाता है।

4. वह मात्रा जिसे इस विपणन कंपनी द्वारा बेचने का दावा किया गया है उसका सत्यापन भी आरजी-1 रजिस्टर/उत्पादन को दर्शाने वाले उत्पादन रिकॉर्ड, लेखा बहियों, भण्डार रजिस्टरों और कंपनी द्वारा रखे गये अन्य संगत आलेखों द्वारा किया गया है।

दिनांक:
स्थान:

कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम, पदनाम मुहर सहित)

अनुलग्नक

माह/वर्ष

कंपनी का नाम:
राज्य का नाम:

(मात्रा मी.टन में)

जिला	आयी/प्राप्त मात्रा	बेची गई मात्रा (*)	जिसको बेची गई मात्रा (**)	पिछले महीने की मात्रा जिसे वापस किया गया था (भुगतान के लिए पात्र नहीं)	पात्र निवल मात्रा	अभ्युक्ति, यदि कोई हो।
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7

(*एमएसडब्ल्यू पर आधारित विनिर्मित शहरी कम्पोस्ट की बेची गई मात्रा)
(**उर्वरक नियंत्रण आदेश/संस्थागत अभिकरणों/एनपीके मिश्रित विनिर्माताओं, विशेष रूप से निर्मित उर्वरक विनिर्माताओं के अंतर्गत पंजीकृत डीलरों का नाम, पता और विवरण जिन्हें मात्रा बेची गई थी।

सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए
दिनांक:
स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम, सदस्य सं. मुहर सहित)

दिनांक:
स्थान:

कंपनी का नाम
कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम, पदनाम और दिनांक तथा स्थान सहित मुहर के साथ)

प्रोफार्मा बी1-सीसी

(शहरी कम्पोस्ट के लिए मात्रा प्रमाण-पत्र)

(प्रोफार्मा एएंडसी की प्राप्ति के 180 दिनों के भीतर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत करना)

..... सरकार
कृषि आयुक्तालय (राज्य)

सं. .....
दिनांक: .....

मात्रा प्रमाणपत्र

सेवा में,

संयुक्त सचिव
उर्वरक विभाग,
रसायन और उर्वरक मंत्रालय,

भारत सरकार,
शास्त्री भवन
नई दिल्ली

(ध्यानार्थ:- निदेशक (एफए), उर्वरक विभाग, कमरा सं.473, ई-विंग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।)

1. पूरे पते सहित विनिर्माता का नाम .....
2. पूरे पते सहित विपणन कंपनियों का नाम .....
3. राज्य/संघराज्य क्षेत्रों का नाम जहां उत्पाद (उत्पादों) को बेचा गया .....
4. जिस महीने में राज्य/संघराज्य क्षेत्र में शहरी कंपोस्ट बेचा गया, उसके लिए दावा .....
5. प्रोफार्मा 'ए एंड सी' के अनसुार ''लेखागत दावों के'' बिल सं ..... दिनांक .....
6. राज्य में शहरी कंपोस्ट की बिक्री की रिपोर्ट

क्र.सं.	उत्पाद	ब्रांड	प्रोफार्मा एं एंड सी के अनुसार दावा की गई मात्रा (लेखागत दावे)	एफसीओ के अनुसार बिक्री योग्य पैकटयुक्त रूप में राज्य में बेची गई पुष्ट मात्रा	वित्तीय वर्ष के दौरान बेची गई संचयी मात्रा	महीने के दौरान अवमानक/कम मात्रा	बाजार विकास सहायता के लिए पात्र महीने के लिए एफसीओ मानदण्डों के अनुसर प्रमाणित निवल मात्रा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=5-7
1	शहरी कंपोस्ट-पी						

* राज्य में एफसीओ द्वारा प्रमाणित गुणता के साथ बेची गई मात्रा राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित की जाएगी)

7. यह प्रमाणित किया जाता है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश/सांस्थानिक अभिकरणों (राज्य विपणन परिसंघ (एचआईएमएफईडी) इत्यादि) के तहत पंजीकृत डीलरों को केवल कृषि उद्देश्य के लिए एनपीके मिश्रण विनिर्माण/विशेष रूप से निर्मित उर्वरक विनिर्माता) शहरी कम्पोस्ट की बिक्री के संबंध में उक्त विवरण सही है जिसके परिणामस्वरूप महीने/वर्ष ..... के दौरान स्टाक एवं स्वामित्व का स्थानांतरण हुआ।

8. यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... महीने/वर्ष में प्रोफार्मा ए एवं सी के अनुसार बेचे गए ..... मी.टन शहरी कंपोस्ट में से ..... मी.टन अवमानक पाया गया।

9. यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... महीने/वर्ष के लिए प्रोफार्मा ए' वि सी' के अनुसार विनिर्माता/विपणन कंपनी द्वारा बेचे गए ..... मी.टन शहरी कंपोस्ट में से ..... मी.टन की कम आपूर्ति हुई।

10. यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... महीने/वर्ष के लिए प्रोफार्मा ए एवं सी के अनुसार विपणन कंपनियों द्वारा बेचे गए .... मी.टन शहरी कम्पोस्ट में से ..... मी.टन कृषि उद्देश्य (एचईएमएफईडी जैसे राज्य विपणन/सहकारी परिसंघ इत्यादि) के अलावा अन्य उपयोग के लिए बेचा गया। (एनपीके मिश्रण विनिर्माण, विशेष रूप से निर्मित उर्वरक विनिर्माता केवल कृषि उद्देश्य के लिए औद्योगिक उपयोग एवं अन्य किसी उपयोग के लिए नहीं)

11. प्रमाणित किया जाता है कि राज्य में बेचे गए शहरी कम्पोस्ट वाले बोरों पर यह स्टाम्प मुद्रित होनी चाहिए कि गुणता प्रमाणित है और शहरी कम्पोस्ट की गुणता एफसीओ मानदण्डों के अनुसार है।

12. यह प्रमाणित किया जाता है कि शहरी कम्पोस्ट अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जाता है जो शहरी कम्पोस्ट/दानेदार शहरी कम्पोस्ट/बोरोनयुक्त शहरी कंपोस्ट के प्रत्येक बैग पर मुद्रित मूल्य से अधिक नहीं है।

कृषि निदेशक
(नाम और सील के साथ)

स्थान:
दिनांक:

प्रति:
<दावेदार का नाम>

नोट: छह महीनों की अवधि के भीतर प्रोफार्मा बी-1 सीसी जारी करना अनिवार्य है। गुणता प्रमाणपत्र (प्रोफार्मा बी-2 सीसी) एक महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए जैसा कि उर्वरक विभाग द्वारा जारी दिनांक ..... की अधिसूचना सं. में निर्धारित है।

<u>प्रोफार्मा बी2-सीसी</u>

(शहरी कम्पोस्ट के लिए गुणता प्रमाण-पत्र)

(प्रोफार्मा ए एवं सी की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर राज्य/संघराज्य क्षेत्र द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत करना)

..... सरकार

कृषि आयुक्तालय ..... (राज्य)

दिनांक

सं.

बी-1एस की संदर्भ सं. दिनांक

<u>गुणवत्ता प्रमाण-पत्र</u>

संयुक्त सचिव
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

(ध्यानार्थ: निदेशक (एफए), उर्वरक विभाग, कमरा सं. 473, एफ-विंग, उद्योग भवन, नई दिल्ली)

1. राज्य/संघराज्य क्षेत्र का नाम: .....
2. विनिर्माता का नाम एवं स्थिति .....
3. पते के साथ विपणन कंपनी का नाम .....
4. निरीक्षण की तारीख .....
5. निरीक्षण प्राधिकारी (नाम स्पष्ट अक्षरों में एवं पदनाम) .....
6. उत्पाद का नाम .....
7. ब्रांड का नाम .....
8. माह/वर्ष .....
9. निरीक्षित बैच/लॉट सं. .....
10. मात्रा परीक्षण, यदि कोई, असफल हो तो .....
11. किस जगह नमूना लिया गया .....

(अर्थात् इकाई परिसर/कंपनी का वेयर हाउस या गोदाम/डीलर अथवा खुदरा विक्रेता परिसर)

12. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित निरीक्षण प्राधिकारी ने ऊपर उल्लिखित तारीख को उक्त शहरी कम्पोस्ट इकाई का निरीक्षण किया और यह पाया कि एक शहरी कम्पोस्ट की जांच के लिए एफसीओ के परिशिष्ट-3 वाली कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 16 अप्रैल, 1991 की अधिसूचना सं. 1-5-91-उर्वरक विधि और दिनांक 12 मई, 2003 की अधिसूचना सं. 1-1-303-उर्वरक विधि के तहत विनिर्दिष्ट एक सुसज्जित प्रयोगशाला उक्त शहरी कम्पोस्ट इकाई में कार्य कर रही है।

13. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि लिए गए नमूने का परीक्षण एफसीओ के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की प्रयोगशाला अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित प्रयोगशाला में किया गया है और परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार विनिर्मित शहरी कम्पोस्ट के नमूने शहरी कम्पोस्ट के लिए एफसीओ की अनुसूची-। में विनिर्दिष्ट गुणता के अनुसार पाए गए है।

14. यह प्रमाणित किया जाता है कि लिए गए एवं परीक्षण किए गए ..... नमूनों में से ..... नमूने असफल रहे और प्रत्येक असफल नमूने के लिए ..... मी.टन उर्वरक कोटि, कुल ..... मी.टन, बाजार विकास सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।

15. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक बैग पर (क) गुणता प्रमाणित (ख) बैच सं. ..... से (ग) अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और (घ) भारत सरकार द्वारा दी जा रही बाजार विकास सहायता की स्टांप मुद्रित कर दी गई है।

कृषि निदेशक

(नाम एवं मुहर के साथ)

स्थान:
दिनांक

प्रति
दावेदार का नाम

कृपया नोट करें कि गुणता प्रमाणपत्र (प्रोफार्मा बी-2सीसी) एक महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए जैसा कि उर्वरक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. ..... दिनांक..... में निर्धारित है।

प्रोफार्मा 'घ'

शहरी कम्पोस्ट के संदर्भ में बाजार विकास सहायता (50 प्रतिशत) की शेष अदायगी के दावे हेतु

बिल सं. ..... दिनांक ..... (लेखागत भुगतान की बिल संख्या) के जरिए प्राप्त बाजार विकास सहायता की लेखागत अदायगी के लिए ..... महीने के दौरान शहरी कम्पोस्ट पर ..... बाजार विकास सहायता की शेष अदायगी के दावे के लिए।

सेवा में,

निदेशक, एफए विंग, कमरा सं. 473, ई-विंग, उद्योग भवन, नई दिल्ली

महोदय/महोदया,

हम बकाया बाजार विकास सहायता की अदायगी के लिए निम्नलिखित दावा प्रस्तुत करते हैं:

1. विनिर्माता कंपनी का नाम एवं पता:
2. विपणन कंपनी का नाम एवं पता:
3. जिस महीने में उत्पाद (उत्पादों) को बेचा गया उसके लिए दावा .....
4. दावे का ब्यौरा:

(मात्रा मी.टन में)

बकाया दावा सं.	राज्य एवं लेखागत दावा सं.	लेखागत दावा के अनुसार मात्रा (मात्रा मी.टन में)	अवमानक/कम आपूर्ति (मात्रा मी.टन में)	बेची गई मात्रा एवं अदायगी के लिए पात्र (मात्रा मी.टन में)	लागू बाजार विकास सहायता दर ** (रुपये में)	देय कुल राशि (रुपये में)	पहले ही प्राप्त कुल बाजार विकास सहायता का लेखागत .....% (रुपये में)	देय बकाया (%) (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)–(4)	(6)	(7)=(5)x(6)	(8)	(9)=(7)–(8)
कुल								

5. दावा की गई एनबीएस की बकाया भुगतान की कुल राशि ..... (राशि शब्दों में) को निकटम रुपयों में लिखा जा रहा है।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर कालम 5 में दर्शाई गई मात्रा उर्वरक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बेची गई है। उक्त सूचना संगत महीने की बिक्री पर आधारित है और इन्हें बिक्री ऑर्डर्स, सुपुर्दगी चालनों और बिक्री बीजक/बिक्री बिलों से सत्यापित किया गया है।

7. कंपनी वचन देती है कि प्रोफार्मा बी1-सीसी के अनुसार यदि संबंधित राज्य/संघराज्य क्षेत्र सरकार (सरकारों) द्वारा मात्रा कम प्रमाणित की जाती है अथवा उर्वरक अवमानक पाए जाते है तो कंपनी पत्र सं. ..... दिनांक ..... के प्रावधानों के अनुसार इस विभाग को दंडात्मक ब्याज के साथ राशि की वापस अदायगी के लिए जिम्मेदार होगी।

8. यह प्रमाणित किया जाता है कि उर्वरक विभाग के दिनांक ..... के पत्र सं. ..... और दिनांक ..... के दिशा-निर्देशों में विहित सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं।

स्थान: **कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर**
दिनांक: **(मुहर के साथ नाम, सदस्यता सं.)**

..... रुपये की राशि प्राप्त हुई।

स्थान: **कंपनी के नाम मुहर सहित**

दिनांक: **कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर के एवं नाम/पदनाम**

कृपया ..... रुपये की बाजार विकास सहायता खाता सं. ..... (बैंक का नाम, शाखा एवं पता बताएं) में अदा करें।

स्थान: **कंपनी के नाम सहित**
दिनांक: **कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर एवं नाम/पदनाम**